न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 329 सन् 2015

पंजीयन दिनांक :- 04.11.2015

1. शिवगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
2. कैलाशगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
3. शंभुगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

-अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. महादेव जी धनेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. महादेव जी धनेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. महादेव जी झरणेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, चितौडगढ

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 46/2013 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2015

वक्त बहस उपस्थित- 1. नरेन्द्र कुमार नाहर- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्डगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनोदा में खसरा संख्या 125 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ग्राम जितावास में खसरा संख्या 165 रकबा 3 बिस्वा व खसरा संख्या 166 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा कुल किता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

2 कुल रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, ग्राम अमरपुरा में खसरा संख्या 36,37,38,39,88 व 112 कुल किता 6 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि अवस्थित है। उपर्युक्त संपूर्ण विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण वादीगण के मूलपुरूष प्रेमगिर के खुदकाश्त की खालसे के रूप में दर्ज रही जो मूलपुरूष अपीलांट्गण वादीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्गण वादीगण के पिता प्रतापगिर व उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट्गण वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त विवादित कृषि भूमि को वक्त सेट्लमेंट भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने गलत ढंग से खालसे के रूप में दर्ज कर दिया जिसे अपीलांट्गण वादीगण के खातेदारी की घोषित कराई जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त प्रमाणित नही होना मानते हुए दिनांक 28.09.2015 को वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र ग्राम जितावास, अमरपुरा एवं अरनोदा में स्थित विवादित आराजीयात की खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 का निर्णय रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है क्योकि अपीलांट्गण वादीगण ने वाद के साथ आवेदन धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर नोटिस से छूट की स्वीकृति प्राप्त की। तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय तनकी नम्बर 1 के आधार पर करने में कानूनी भूल की है। सभी तनकियात को पृथक-पृथक रूप से सकारण निर्णित नहीं की जाने से अपीलार्थीगण वादीगण के हित प्रभावित हुये है। विवादित कृषि भूमि अपीलांट्गण वादीगण के पूर्वज प्रतापगिरी के खुदकाश्त में दर्ज थी। कानूनन माल मेवाड एवं टिनेन्सी एक्ट के अनुसार खुदकाश्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। खालसे में दर्ज उक्त विवादित कृषि भूमि भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने धनेश्वर महादेव के नाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नही किया। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। विचारण न्यायालय ने इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

तथ्य पर ध्यान नही दिया। प्रदर्श 1 ग्राम अरनोदा की गत सेटलमेंट की जमाबन्दी में महादेव जी धनेश्वर जी स्थान भदेसर मालिक एवं परताबगर मुतबन्ना प्रेमगर गुसाई खुदकाश्त अंकित है। कैफियत में माफी पूजनार्थ अंकित है। प्रदर्श 4 ग्राम अमरपुरा की गत सेटलमेंट की जमाबन्दी में प्रेमगर वल्द गोपालगर गुसाई खडमदार के रूप में संवत 1992 में दर्ज हुई। तनकी संख्या 1 व 3 अपीलांट्गण वादीगण ने साबित करवाई किन्तु विचारण न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी की। तनकियात भी गलत कायम की गई। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय होकर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट्गण वादीगण द्वारा अपील केवल और केवल तनकियात गलत बनी है इस आधार पर प्रस्तुत की गई है। यदि तनकियात पर कोई आपति थी तो अधीनस्थ न्यायालय में अपना उजर एतराज दर्ज करवाना चाहिए था जो नही करवाया गया। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के पिता/दादा का नाम कभी भी खातेदार अथवा मालिक की हैसियत से दर्ज नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गत सेटलमेंट में अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के दादा मूलपुरूष माफी पूजनार्थ/उपकृषक /खुदकाश्त दर्ज रहे। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 अनुसार विवादित कृषि भूमि धनेश्वर महादेव मन्दिर के नाम दर्ज होने से पुजारियों का नाम हटाया गया है जो विधि अनुसार सही है। माफी का आशय मन्दिर मूर्ति की दया से है। धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस नही दिये जाने के कारण इस बाबत छूट का प्रार्थना-पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने सम्बन्धित कोई आदेश नही हुआ। बिना किसी स्वीकृति के राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही था। अंत में प्रस्तुत अपील सारहीन होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्गण वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनोदा, जितावास व अमरपुरा में स्थित विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण वादीगण के मूलपुरूष प्रेमगिर के खुदकाश्त की खालसे के रूप में दर्ज रही जो मूलपुरूष अपीलांट्गण वादीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्गण वादीगण के पिता प्रतापगिर व उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट्गण वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त विवादित कृषि भूमि को वक्त सेटलमेंट भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने गलत ढंग से खालसे के रूप में दर्ज कर दिया जिसे अपीलांट्गण वादीगण के खातेदारी की घोषित कराई जावें। विचारण न्यायालय उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त इस निर्णय पर पहुंचे कि "राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 अनुसार वादग्रस्त आराजी खुदकाश्त भूमि माफीदार मूर्ति मन्दिर की है, जो शाश्वत अवयस्क

विधिक पुरूष है जिन्हे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये। अपीलांट्गण वादीगण मात्र धनेश्वर महादेव मन्दिर के पुजारी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त मन्दिर भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में वर्णित अवयस्क के नियोजक के प्रावधान लागू होते है जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत उपकृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। डी.बी. स्पेशल अपील नम्बर 185/2001 तारा बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 अनुसार भी डोली एवं मन्दिर माफी की भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात धनेश्वर (झरणेश्वर) महादेव मन्दिर की खुदकाश्त एवं खातेदारी भूमि रही है। अपीलांट्गण वादीगण एवं उनके पूर्वज मात्र पुजारी के रूप में अंकित रहे है जिनके नाम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 अनुसार विलोपित किये गये है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 46/2013 में दिनांक 28.09.2015 को पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांत अनुसार प्रमाणित नही होने से निरस्त किया गया है। अपीलांट्गण वादीगण अपील के बिन्दुओं को साबित करवाने में असफल रहे है। अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें।

28/6/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 329/2015/डिक्री पंजीयन दिनांक 04.11.2015

1. शिवगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
2. कैलाशगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
3. शंभुगिरी पिता प्रताप गिरी गुसाई निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ

-अपीलान्टस

बनाम

1. महादेव जी धनेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. महादेव जी धनेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. महादेव जी झरणेश्वर जी स्थान देह भदेसर जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, पंचवटी, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 46/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2015 अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 28.06.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार नाहर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक **28.06.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

28/6/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चितौड़गढ़ (राज.)